tion 85 of the Estate Duty Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-2349/64.]

12.29 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

FORTY-FOURTH AND FORTY-FIFTH REPORT: Shri A. C. Guha (Barasat): Sir, I beg to present the following reports of the Estimates Committee on the Ministry of Railways:—

- (1) Forty-fourth Report on Chittaranjan Locomotive Works.
- (2) Forty-fifth Report on Integral Coach Factory.

12.29 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): Sir. on behalf of Dr. Sushila Nayar, I beg to move:

"That in pursuance of section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as a member of the All India Institute of Medical Sciences, subject to the other provisions of the said Act, vice Dr. P. D. Gaitonde ceased to be a member of Lok Sabha."

Mr. Speaker: The question is:

"That in pursuance of section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as a member of the All India Institute of Medical Sciences, subject to the other provisions of the said Act, vice Dr. P. D. Gaitonde ceased to be a member of Lok Sabha."

12.30 hrs.

RE, REPLY TO MOTION ON ADDRESS BY VICE-PRESIDENT DISCHARGING THE FUNCTIONS OF PRESIDENT.

बार राम मनोहर सोहिया (फर्रुखा-बाद) : श्रध्यक्ष महोदय, में श्राप से श्रजं करता हूं कि कल उपाध्यक्ष ने जो निर्णय दिया, उस में श्राप सुधार करें। कल जो मैंने सवाल उठाया था, वह संविधान श्रीर उस की धाराश्रों को ले कर

ब्रध्यक्ष महोदय: मुझे श्राप को सुनने में विल्कुल कोई एतराज नहीं है, लेकिन श्राप ने पहली ही बात यह कही है कि मैं उपाध्यक्ष के फैंसले में मुधार करूं। वेहतर हो, श्रगर श्राप मुझे पहले यह बता सकें कि क्या मुझे सुधार करने की ताकत है।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : श्रगर मैं यह सावित कर दूं कि वह निर्णय गलत है, तो फिर ग्राप उस में मुद्यार करें। किस तरह करें, यह मैं कैसे ग्राप को सलाह दे सकता हूं?

प्राध्यक्ष महोदय: फ़र्ज कर लें कि प्राप यह साबित कर दें कि वह निर्णय गलत है, फिर भी प्रगर संविधान, हमारे रूल्ज या किसी ला के मातहत मझे उस में सुधार करने की प्राज्ञा है, तो इस बहस को उठाने का फ़ायदा होगा। प्रगर मझे कोई ताकत है नहीं, तो फिर किस तरह इस बात को उठाने से फ़ायदा पहुंच सकता है?

डा० राम मनोहर लोहियाः इस सदन को ताकत है ग्राप के जरिये।

प्राध्यक्ष महोदय: एगर घाप बता दें कि इस सदन को ही ताकत है, तो में यह मामला सदन के सामने रखने के लिए तैयार हं।

charging the functions of President

ें बा॰ राम मनोहर सोहिया: प्रगर कोई गलत निर्णय हो चुका है, तो उस के बारे में कम से कम सदन को पता तो हो आना चाहिये।

Re: Reply

श्राध्यक्ष महोदय: यह तो स्राप की राय होगी कि वह निर्णय गलत है। दूसरे मानने य सदस्यों की राय हो सकती है कि वह निर्णय ठीक है। हम ने देखना है कि जो निर्णय उपाध्यक्ष ने लिया, उस को ठीक करने की ताकत मुझे में या इस हाउस में है। अगर है, तो मैं श्राप को इस बात को उठाने की इजाजत दंगा भौर दूसरे माननीय सदस्य भी उस पर प्रपनी राय देंगे। नेकिन पहले हम यह फैसला कर लें कि श्राया संविधान में, या किसी कानन में. या हमारे नियमों में, यह प्राविजन है-श्राप प्रपना केस साबित कर भी दें--- कि मैं या यह हाउस किसी तरीके से उपाध्यक्ष के निर्णय को ठीक कर सकता है।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : यह तो एक साधारण नियम है। मैं श्राप से मह सवाल पूछूगा—शाखिर मैं एक सदस्य के नाते श्रपने ग्रध्यक्ष महोदय से यह प्रश्न पूछ सकता हूं—िक श्रगर सदन में कोई बलत कार्यवाही हुई है, तो उस के सुधार की गुंजाइश तो होगी ही है न।

षघ्यक महोदय: मैं श्राप से अर्ज कर देता हूं कि जो भी किसी वक्त कुर्सी पर बैठा हो, उस की तमाम पावर्ज, ताकत और श्रधिकार उतने ही हैं, जितने कि स्पीकर के हैं, चाहे वह व्यक्ति स्पीकर खुद हो, उपाघ्यक्ष (डिपुटी स्पीकर) हो, या पैनल श्राफ़ चेयरमैंन का कोई मेम्बर हो। बह जो फ़सला दे, उस वक्त के लिए, और जो इस्यू, जो बात हाउस के सामने हैं, उस के लिए वह श्राख़िरी है। उस की श्रपील न श्रध्यक्ष के पास हो सकती है और न हाउस के पास हो. सकती है। श्रगर वह इस्यू या वह सवाल किन्हीं और हालात मं फिर उठं, तो उस वक्त जो भी कुर्सी पर होगा, वह देखेगा कि उस ने क्या फ़ैसला देना है। इस में भ्रपील की कोई गुंजायण हमारे संविधान में, हमारे किसी कानून में भ्रौर हमारे नियमों में नहीं है। मैं जब फ़ैसले देता हूं—कभी-कभी वे गलत होंगे—कई मेम्बर साहवान उन से इति-फ़ाक नहीं करते —तो उन के बारे में भ्रपील तो नहीं हो सकती है। जो मेम्बर साहब इस कुर्सी पर बैठे हों, उन का फ़ैसला भ्राखिरी है। हमारा यही नियम है भ्रौर भ्रौर यही दस्तूर है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनीर) : रूलिंग ग्रीर फ़ैसले में फ़र्क है।

शां० राम मनोहर लोहिया : यह तो सिद्धान्त भीर नियम का सवाल है। छोड़ दीजिए उपाध्यक्ष महोदय को । छोड़ दीजिए उस सवाल को, जो मैंने कल उठाया था । लेकिन मैं एक सिद्धान्त भीर नियम के भ्राधार पर यह बात उठाना चाहता हूं भ्रगर भ्राप मुझे थोड़ा सा अर्ज कर लेने दें ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज नहीं है। आप जो चाह, कहें। आप ने मझे लिखा है कि श्रध्यक्ष को तो ज्यादा शान्त होना चाहिये । वाकई अध्यक्ष को ज्यादा शान्त होना चाहिये । उस को दूसरे सदस्यों से ज्यादा शान्त होना चाहिये। इस में कोई शक नहीं है ग्रोर मैं इस बात से इत्तिफ़ाक करता हुं। वाकई जो इस कुर्सी पर बैठा है, उस को ज्यादा शान्त होना चाहिए । लेकिन सवाल यह है **कि** जो मौजदा कवायद हैं, जो मौजदा नियम हैं, उन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। भ्रगर भ्राप इन नियमों में कोई कमी देखते हैं, तो उस का इलाज तो यह है कि हम उन में कुछ तब्दीली करें। उस के लिए स्राप नोटिस दें भ्रौर वह सवाल यहः पर श्राए भौर भ्रगर यह हाउस समझे कि उन में 1747 Re: Reply to Motion PHALGUNA 1, 1885 (SAKA) Railway Budget— 1748 on Address by Vice- General Discussion

President discharging the functions of President

बदली होनी चाहिये, तो बदली बाकायदा तोर पर हो। इस वक्त इस बात को उठाने में न हम तब्दीली कर सकते हैं मौर न इस बारे में कोई अपील हो सकती है।

डा० राम मनोहर लोहिया : र्नैने सवाल उठाया नहीं है कि नियम बदलें। प्रक्रिया के नियम २० का उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध हो नहीं जोकि मैंने उठाया है। मैंने तो संविधान की धाराध्रों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था । प्रक्रिया का नियम २० तो कैवल एक ग्रधिकार की बात करता है कि भगर एक मंत्री, चा वह प्रधान मंत्री हो भीर चाहे कोई भीर मंत्री, एक बार बोल चुका हो, तो वह दोबारा भी बोल सकता है। मैंने सवाल उठाया था फ़र्ज़ के बारे में। श्राखिर जब राष्ट्रपति ग्रीर इस सदन का सम्बन्ध इतना नजदीकी--साल में केवल एक बार हुआ करता है-ता राष्ट्रपति के श्रमिभाषण के ऊपर जो कोई बहस होती है, उसका जवाब उससे होना चाहिए, जो इस नबदीकी सम्बन्ध को दिखा सकता हो। यह मैंने सवाल उटाया था। उसके एतर में भगर प्रक्रिया का नियम २० बताया बाये, तो वह ग्रसंगत है, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । ग्रगर ग्राप चाहें, तो मैं उसकी पढ देता हं।

मध्यक्ष महोदयः मातनीय सदस्य मुझे बतायें कि मैं क्य' करूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं कहना चाहता हूं कि यह असगत बात है और इसका मेरे प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं चाहता हूं कि जो नियम नहीं है, उस में सुधार हो बाना चाहिएं और जो कुछ मैंने संविधान का सवाल उठाया है, आप उस पर अब-सरेनों विचार करे । अगर प्रधान मंत्री इस लायक न रह जाये कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दे सके— और लम्बे धर्से के लिये—यह कोई दिन, दो दिन का सवाल नहीं है, डेढ़ महीने का है—तो क्या स्थिति होनी चाहिए ? किन हालतों में प्रधान मंत्री को इससे माफ़ किया जा सकता है—ग्रगर वह यकायक बीमार पड़ जाये या यंकायक राष्ट्र के काम से उसको बाहर जाना पड़। दूसरी स्थितियों के लिए क्या व्यवस्था की जाये ?

> **क्रध्यक्ष महोदय**ः मैंने ग्रापकी सारी बात सुन ली है ।

डा॰ राम मनोहर सोहिया : इस सम्बन्ध में श्रभी कोई नियम नहीं है । जो प्रश्न मैंने श्रापके सामने रखा है, उसके बारे में कोई नियम ही नहीं है ।

चच्यल महोदय : प्रव भ्राप तशरीफ़ रखें । मैंने भ्रापको बहुत काफ़ी वक्त दिया है भौर पेशन्स भी काफ़ी दिखाई है । हालांकि मैं जानता था कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई भ्रपील नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने भ्रापको वक्त दिया है । इस वक्त मेरे पास इसके सिवाय भ्रीर कोई चारा नहीं है कि मैं भ्रापसे कहू कि मैं बेबस हूं । भ्रव हम भ्रागे चलेंगे ।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : बैबसी तो हमारी है ।

12.37 hrs.

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION

Mr. Speaker: The House will now take up General Discussion of the Railway Budget for 1964-65, for which 15 hours are allotted.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Mr. Speaker, every year it has become an ordeal in the month of February to anxiously wait for the tax increase, first to be done by the Minister of Finance. This ordeal is being perpetuated on the Indian people cleverly and successfully with the ultimate result of increase of prices of all commodities that the common man has te utilise. This year the performance of the Railway Minister,